



जनपद हमीरपुर

प्रेसनोट- थाना चिकासी

दिनांक 15.04.2026

थाना चिकासी पर मु0अ0सं0-33/2026 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में -

घटना का संक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 15.04.2026 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 सरीला कुलदीप सिंह की फर्ड के आधार पर मु0अ0सं0-33/2026 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम देवीदीन पुत्र स्व० राधाचरण राजपूत, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम विलगांव डांडा थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में अभियुक्त देवीदीन उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से 19 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण तथा गाँजा के हरे पौधे (वजन लगभग 2 किलो 500 ग्राम) बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवीदीन पुत्र स्व० राधाचरण राजपूत, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम विलगांव डांडा थाना चिकासी, जनपद हमीरपुर।

थाना चिकासी पुलिस व आबकारी टीम-

1. आबकारी निरीक्षक कुलदीप सिंह (क्षेत्र-4 सरीला)
2. आबकारी निरीक्षक राजीव कुमार (क्षेत्र-2 राठ)
3. आबकारी आरक्षी अबू खाफा
4. आबकारी आरक्षी वकीम खान
5. आबकारी महिला आरक्षी दीपा
6. उ0नि0 भुलईराम यादव(थाना चिकासी)
7. का0 भूपेन्द्र निरंजन (थाना चिकासी)

